ऑन लाईन नं.RCMS2023/47

न्यायालय : न्यायनिर्णयन अधिकारी एवं अति0 जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) श्रीगंगानगर
पीठासीन अधिकारी : डा. हरीतिमा, आर.ए.एस.
न्याय निर्णयन आवेदन सं0 31/2023

श्री लक्ष्मीकांत गुप्ता, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यलय अभिहित अधिकारी, (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकाारी, श्रीगंगानगर।

बनाम

1. श्री रोहित कुमार पुत्र श्री जुगल किशोर —खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक—
मै0 ग्रोवर ट्रेडिंग कम्पनी, करनपुर रोड़, श्रीगंगानगर जिला श्रीगंगानगर।

अपराध अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा
एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26(2)(ii)/51&52

निर्णय दिनांक : 31.03.2023

सक्षेंप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि परिवादी श्री लक्ष्मीकांत गुप्ता खाद्य सुरक्षा अधिकारी, का गजट नोटिफिकेशन दिनांक 18.08.2011 के गजट में भाग 2(क) पर प्रकाशित हुआ है एवं परिवादी का पदस्थापन एवं कार्य क्षेत्र का आवंटन आयुक्त (खाद्य सुरक्षा) निदेशालय राज. जयपुर के आदेश क्रमांकः—एफएसएसए/2020/830 दिनांक 26.10.2020 एवं क्षेत्राधिकार अधिसूचना 11.04.2012 अनुसार प्रकाशित के अनुसार जिला श्रीगंगानगर किया गया है। अधिसूचना एवं आदेश की फोटो प्रतियां न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ सलंग्न है।

श्री लक्ष्मीकांत गुप्ता, खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 26.02.2022 को बाद 2.30 बजे का **मै0** ग्रोवर ट्रेडिंग कम्पनी, करनपुर रोड़, श्रीगंगानगर जिला श्रीगंगानगर पर पहुंचा। मौके पर विक्रेता रोहित कुमार पुत्र श्री जुगल किशोर को अपना परिचय देकर दुकान पर रखे **कुकिंग ऑयल (महादेव दीपोत्सव ब्राण्ड)** के बारे में जानकारी चाही, इस पर विक्रेता ने स्वयं को दुकान का मालिक बताया तथा दुकान के अन्दर 350 ग्राम की 14 बोतलें **कुकिंग ऑयल (महादेव दीपोत्सव ब्राण्ड)** को आमजन के विक्रय वास्ते होना बताया। मुझे इसी **कुकिंग ऑयल (महादेव दीपोत्सव ब्राण्ड)** में मिलावट का शक होने पर विक्रेता से नमूना जांच वास्ते **कुकिंग ऑयल (महादेव दीपोत्सव ब्राण्ड)** का नमुना लेने की इच्छा विक्रेता को फार्म नम्बर 5 ए भरकर देते हुए वरवक्त मौके पर ही विक्रेता को फार्म नम्बर 5 ए भरकर दिया जिस पर विक्रेता व गवाहान के व मैने हस्ताक्षर किये। फार्म नम्बर 5 ए न्याय निर्णयन के साथ सलंग्न है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा दुकान का निरीक्षण करने पर पाया कि आम जनता को विक्रय हेतु उपलब्ध **कुकिंग ऑयल (महादेव दीपोत्सव ब्राण्ड)** 350 ग्राम की 4 पोली पेक बोतलें को विक्रेता से खरीद कर किया। विक्रेता को मौके पर ही उक्त कयशुदा **कुकिंग ऑयल (महादेव दीपोत्सव ब्राण्ड)** का नगद भुगतान 350/— रूपये किया तथा कैशमीमो बनावाकर लिया जिस पर विक्रेता तथा गवाहान के हस्ताक्षर है और मेरे भी हस्ताक्षर है। केशमीमो न्यायनिर्णय आवेदन के साथ सलंग्न है।

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर फार्म नम्बर 5 ए की प्रतियां तैयार कर खाद्यकारोबारकर्ता एवं मालिक तथा गवाहान को पढकर सुनाकर एवं समझकर हस्तक्षर करने को कहा जिसे रोहित कुमार पुत्र श्री जुगल किशोर एवं गवाहान ने भी पढकर समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये। स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर किये। फार्म से 5 ए की एक प्रति खाद्यकारोबारकर्ता एवं मालिक रोहित कुमार पुत्र श्री जुगल किशोर को देकर असल पर रसीद प्राप्त की। फार्म नम्बर 5ए मूल सलंग्न न्यायनिर्णयन आवेदन है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा **कुकिंग ऑयल (महादेव दीपोत्सव ब्राण्ड)** की 4 पोली पेक बोतलों पर लैबल तैयार कर चिपकाये और लेबलों पर डी.ओ. श्रीगंगानगर के **कोड व कमांक के–1421** दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं ने हस्ताक्षर किये एवं खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक तथा गवाहान के हस्ताक्षर करायें। चारों नमूना भागों को अलग–अलग खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. श्रीगंगानगर की हस्ताक्षरशुदा **पेपर स्लिप के–1421** नियमानुसार चारों नमूना भागों पर नीचे से उपर तक गोलाई में गोंद से चिपकाकर प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बांधकर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर खाद्यकारोबारकर्ता एवं मालिक के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनो पर आयें। चारों नमूना भागों के पेपर पर गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर स्वयं के आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर कर सील बन्द चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया।

मौके पर फर्द मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार कर खाद्यकारोबारकर्ता एवं मालिक तथा गवाहान को पढकर, सुनाकर एवं समझकर हस्ताक्षर करने को कहा जिसे रोहित कुमार पुत्र श्री जुगल किशोर एवं गवाहान ने भी पढकर, समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये। स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर किये। फर्द रिपोर्ट मूल सलंग्न न्यायनिर्णयन आवेदन है।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने फार्म नं 06 की आठ प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिसमें नमूना सील मोहर किया। एक नमूना भाग मय फार्म सं. 06 की प्रति के आउटर कवर में सीलबन्द कर सील मोहर किया। अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) ने नमूने का एक भाग एवं फार्म 6 का एक सील बन्द लिफाफा स्टेट सैन्ट्रल पब्लिक हैल्थ लैबोरेटरी, बीकानेर (राजस्थान) को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की एवं शेष तीन सील बन्द नमूना भाग मय फार्म 6 का सील बन्द लिफाफा डी.ओ. कम सी.एम.एच.ओ. श्रीगंगानगर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

स्टेट सैन्ट्रल पब्लिक हैल्थ लैबोरेटरी, बीकानेर (राजस्थान) द्वारा जारी जांच रिपोर्ट क्रमांक :–:L.S./360/Act/2022/360 Dated 15-03-2022 को प्राप्त हुई, जिसके अनुसार खाद्य नमूना **K-1421 Sub- Standard Food &Misbranded Food** होना पाया गया। इस पर अभिहीत अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर ने प्रकरण में अभियुक्त रोहित कुमार पुत्र श्री जुगल किशोर **मै0** ग्रोवर ट्रेडिंग कम्पनी, करनपुर रोड़, श्रीगंगानगर जिला श्रीगंगानगर व द्वारा अमानक स्तर **कुकिंग ऑयल (महादेव दीपोत्सव ब्राण्ड)** का विक्रय किये जाने को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा (ii) के अन्तर्गत न्याय निर्णयन आवेदन दिनांक 24.02.2023 को प्रस्तुत किया गया।

परिवाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अभियुक्त को तलब किया गया। अभियुक्त को परिवाद की प्रति उपलब्ध कराई गई।

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

अभियुक्त ने अपने जवाब में कथन किया है कि:– अभियुक्त ने अपने जवाब में कथन किया है कि:–

1. यह कि परिवाद द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष जिन कथनों, आधारों के साथ उक्त अधिनियम के तहत परिवाद प्रस्तुत किया गया है वह विधि सम्मत एवं प्राकृतिक न्याय सिद्वांतों के सर्वथा विपरीत पारित किया गया है।
2. यह कि दिनांक 26.02.2023 को तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी लम्मीकांत गुप्ता, जिस द्वारा हमारे संस्थान पर आकर महादेव दीपोत्सव ब्राण्ड के संदर्भ में पूछा गया तो हमने यही बताया कि हम न तो इस महादेव दीपोत्सव ब्राण्ड का न तो निर्माता है, ना विनिर्माता है ना ही हमारे द्वारा खुला कुकिंग ऑयल आमजन को विक्रय किया जाता है। हमारी छोंटी परचून की दुकान है, जहां पर जिन 14 बोतलों का हवाला दिया गया है, ऐसी कोई 14 बोतलें हमारे संस्थान पर न तो थी ना ही हमने किसी प्रकार का स्टॉक कर रखा था। हमने खाद्य सुरक्षा अधिकारी को स्पष्ट कह दिया था कि यह माल जिस अवस्था में आता है, उसी अवस्था में विक्रय कर देते है, छोंटी परचून की दुकानदारी है और दिनांक 26.02.2022 को उक्त फर्म के प्रोपराईटर जुगल किशोर थे जिनका देहांत दिनांक 28.10.2022 को हो गया। उनके स्वर्गवास के बाद अब अप्रार्थी उक्त दुकान का संचालन कर रहा है। खाद्य निरीक्षक के सामने किसी ग्राहक को उक्त कुकिंग तेल विक्रय नहीं किया जा रहा था।
3. यह कि उक्त महादेव दीपोत्सव का निर्माता पैकड गुलशन ट्रेडिंग कम्पनी, श्रीगंगानगर है। बकायदा तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी को बता दिया गया था कि हमने पहली बार ही उक्त दुकान से तेल खरीद किया है और उक्त गुलशन ट्रेडिंग कम्पनी जिसके ब्रांण्ड के रैपर उतारकर सलंग्न किए जा रहे है। हमने उक्त गुलशन ट्रेडिंग कम्पनी श्रीगंगानगर के बारे में खाद्य निरीक्षक को दिखा दिया था, मगर उन्होने हमारी एक नहीं सुनी तथा मनमर्जी से सैम्पल भरने की प्रक्रिया शुरू कर दी।
4. यह कि उक्त महादेव दीपोत्सव कुकिंग ऑयल के रैपर पर स्पष्ट दर्ज किया हुआ है– ... .जिसमें बैंच नम्बर, एमआरपी 180/– रूपये इंक्लूडिंग ऑल टैक्स का भी अंकन है। उक्त महादेव दीपोत्सव के निर्माता द्वारा यह विश्वास दिलाया गया था कि यह अन्य खाद्य तेलों से काफी विटामिन युक्त एवं मानव जीवन के स्वास्थ्यवर्धक है और इसमें किसी प्रकार की कोई मिलावट या सब–स्टेंडर्ड (अवमानक घटक) नहीं है। खाद्य निरीक्षक द्वारा सैम्पल लिए जाने के बाद से ही हमने उक्त बचा हुआ माल गुलशन ट्रेडिंग कम्पनी के मालिक को मौके पर बुलाकर नष्ट कर दिया था।
5. यह कि हमने खाद्य निरीक्षक लक्ष्मीकांत गुप्ता को सारी स्थिति से भी अवगत करवा दिया था, मगर उसने निर्माता के यहां जाकर सैम्पल लेने की कोई तत्परता नहीं दिखाई और उनका यह कहना था कि माल आपके यहां विक्रयार्थ पड़ा है इसलिए मै तो वहां मौके पर गुलशन ट्रेडिंग कम्पनी के पास नहीं जाता, आपको जरूरत है तो जाओं। इस प्रकार से उक्त खाद्य निरीक्षक की मनमानी कार्यवाही यह दर्शाती है कि उक्त सैम्पल की कार्यवाही गुलशन ट्रेडिंग कम्पनी के मालिक के कहने परही हमारे यहां की गई हो।

अतः जवाब परिवाद पेश करके निवेदन है कि उपरोक्त तथ्यों की रोशनी में परिवादी का परिवाद सव्यय निरस्त फरमाया जावें फिर भी माननीय न्यायालय अगर किसी बिन्दु पर हमारे संस्थान का दोष होना पाया जावें तो उस सूरत में नरमी का रूख अपनाकर

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

उक्त संदर्भ में धारा 69 बाबत अपराधों के शमन की शाक्ति का प्रयोग करते हुए नाममात्र की दण्डात्मक राशि अधिरोपित कर मामले को निस्तारित फरमाया जावें।

परिवाद पर दोनों पक्षों को सुना गया।

राज पैरोकार ने अपनी बहस में बताया कि अभियुक्त से लिया गया **कुकिंग ऑयल (महादेव दीपोत्सव ब्राण्ड)** का सैम्पल **K-1421** जांच रिपोर्ट क्रमांक :–:L.S./360/Act/2022/360 Dated 15-03-2022 द्वारा **Sub- Standard Food &Misbranded Food** होना पाया गया है। अतः अभियुक्त के खिलाफ खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा (2)(ii) का उल्लधन किया है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 व 52 में निर्धारित है।

अप्रार्थी ने जवाब में वर्णित तथ्यों को ही बहस में दोहराते हुए कथन किया किदिनांक 26.02.2023 को तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी लम्मीकांत गुप्ता, जिस द्वारा हमारे संस्थान पर आकर महादेव दीपोत्सव ब्राण्ड के संदर्भ में पूछा गया तो हमने यही बताया कि हम न तो इस महादेव दीपोत्सव ब्राण्ड का न तो निर्माता है, ना विनिर्माता है ना ही हमारे द्वारा खुला कुकिंग ऑयल आमजन को विक्रय किया जाता है। हमारी छोंटी परचून की दुकान है, जहां पर जिन 14 बोतलों का हवाला दिया गया है, ऐसी कोई 14 बोतलें हमारे संस्थान पर न तो थी ना ही हमने किसी प्रकार का स्टॉक कर रखा था। हमने खाद्य सुरक्षा अधिकारी को स्पष्ट कह दिया था कि यह माल जिस अवस्था में आता है, उसी अवस्था में विक्रय कर देते है, छोंटी परचून की दुकानदारी है और दिनांक 26.02.2022 को उक्त फर्म के प्रोपराईटर जुगल किशोर थे जिनका देहांत दिनांक 28.10.2022 को हो गया। उनके स्वर्गवास के बाद अब अप्रार्थी उक्त दुकान का संचालन कर रहा है। खाद्य निरीक्षक के सामने किसी ग्राहक को उक्त कुकिंग तेल विक्रय नहीं किया जा रहा था।महादेव दीपोत्सव का निर्माता पैकड गुलशन ट्रेडिंग कम्पनी, श्रीगंगानगर है। बकायदा तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी को बता दिया गया था कि हमने पहली बार ही उक्त दुकान से तेल खरीद किया है और उक्त गुलशन ट्रेडिंग कम्पनी जिसके ब्रांण्ड के रैपर उतारकर सलंग्न किए जा रहे है। हमने उक्त गुलशन ट्रेडिंग कम्पनी श्रीगंगानगर के बारे में खाद्य निरीक्षक को दिखा दिया था, मगर उन्होने हमारी एक नहीं सुनी तथा मनमर्जी से सैम्पल भरने की प्रकिया शुरू कर दी।खाद्य निरीक्षक लक्ष्मीकांत गुप्ता को सारी स्थिति से भी अवगत करवा दिया था, मगर उसने निर्माता के यहां जाकर सैम्पल लेने की कोई तत्परता नहीं दिखाई और उनका यह कहना था कि माल आपके यहां विक्रयार्थ पड़ा है इसलिए मै तो वहां मौके पर गुलशन ट्रेडिंग कम्पनी के पास नहीं जाता, आपको जरूरत है तो जाओं। इस प्रकार से उक्त खाद्य निरीक्षक की मनमानी कार्यवाही यह दर्शाती है कि उक्त सैम्पल की कार्यवाही गुलशन ट्रेडिंग कम्पनी के मालिक के कहने परही हमारे यहां की गई हो।

अतः जवाब परिवाद पेश करके निवेदन है कि उपरोक्त तथ्यों की रोशनी में परिवादी का परिवाद सव्यय निरस्त फरमाया जावें फिर भी माननीय न्यायालय अगर किसी बिन्दु पर हमारे संस्थान का दोष होना पाया जावें तो उस सूरत में नरमी का रूख अपनाकर उक्त संदर्भ में धारा 69 बाबत अपराधों के शमन की शाक्ति का प्रयोग करते हुए नाममात्र की दण्डात्मक राशि अधिरोपित कर मामले को निस्तारित फरमाया जावें।

अति.जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)

बहस पर मनन किया गया । पत्रावली का अवलोकन किया गया।

इस प्रकार अभियुक्त से लिया गया Sample of **"Rice bran Oil (Mahadev दीपोत्सव)" bearing Code No and Sr. No. K-1421, of Designated Officer cum Chief Medical & Health Officer, Sri Ganganagar is Sub-Standard Food as it does not conform to the prescribed standard of Food Safety and Standards (Food Products Standards and Food Additive) Regulations, Act-2011 The sample is also Misbranded Food under section 3(1)(zf)(c)(i) of Food Safety and Standards Act-2006** .की जॉच रिपोर्ट पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है।

फलस्वरूप अभियक्त रोहित कुमार पुत्र श्री जुगल किशोर को एफएसएस एक्ट 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा (ii) के अन्तर्गत घटित अपराध का दोषी पाया जाता है। फलतः अभियुक्त रोहित कुमार पुत्र श्री जुगल किशोर को खादय सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 व 52 के अन्तर्गत राशि रूपये 15,000–00 (अखरे रूपये पन्द्रह हजार मात्र) के आर्थिक दण्ड से दण्डित किया जाता है।

अभियुक्त को यह निर्देश दिये जाते है कि भविष्य में रोहित कुमार पुत्र श्री जुगल किशोर खाद्य पदार्थ में डालने के लिए उच्च गुणवत्ता के घटकों का इस्तेमाल करें, ताकि ऐसे खाद्य पदार्थों से उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। इन आदेशों की पालना सख्ती से की जावे। निर्णय की प्रति मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को भेजी जावे।

निर्णय आज दिनांक 31.03.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डा. हरीतिमा)
न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट(प्रशा0)
श्रीगंगानगर